बैंक में खाता खोलने के 6 आसान स्टेप्स

०१

मैं बैंक में खाता कैसे खोल सकता हूँ?

यह बहुत ही सरल है। बैंक में खाता खोलने के लिए, आपको एक 'पहचान और पते का प्रमाण', पैन/फॉर्म 60 और हाल ही की एक तस्वीर देनी होगी।

०२

मुझे 'पहचान के प्रमाण' और 'पते के प्रमाण' के रूप में कौन से दस्तावेज़ देने होंगे?

पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया आधार कार्ड/ आधार संख्या होने का प्रमाण, नरेगा जॉब कार्ड और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (नेशनल पापुलेशन रजिस्टर) द्वारा जारी पत्र जैसे दस्तावेज़ों में से कोई एक 'पहचान के प्रमाण' के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि इन दस्तावेज़ों में आपका पता भी उल्लेखित है, तो यह 'पहचान और पते के प्रमाण', दोनों के रूप में स्वीकार्य होगा।

०३

यदि मैं चेन्नई में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे पते के प्रमाण में मेरा नई दिल्ली का पता उल्लेखित है, क्या मैं अब भी चेन्नई में खाता खोल सकता हूँ?

निश्चित रूप से आप चेन्नई में खाता खोल सकते हैं। फिज़िकल अकाउंट ओपनिंग मोड में, आपको स्थायी पता (नई दिल्ली) और संपर्क/वर्तमान पता (चेन्नई) दोनों का प्रमाण देना होगा। लेकिन, यदि आपके पास संपर्क/वर्तमान पते का कोई प्रमाण नहीं है, तो आप केवाईसी के ई-प्रमाणीकरण (ओटीपी और बायोमेट्रिक) मोड के माध्यम से खाता खोल सकते हैं, जिसके तहत आपको अपने नई दिल्ली के पते के प्रमाण के साथ संपर्क/ वर्तमान पते के प्रमाण के रूप में एक स्व-घोषणा प्रदान करनी होगी।

०४

बैंकों को पहचान और पते के प्रमाण की आवश्यकता क्यों होती है?

'Know Your Customer' (KYC) आवश्यकता के तहत बैंकों को आपके पहचान और पते के प्रमाण की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बैंक अपने ग्राहकों को ठीक से जानते हैं।

०५

यदि मेरे पास अपनी पहचान का प्रमाण दिखाने के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं हैं, तो क्या मैं अब भी बैंक में खाता खोल सकता हूँ?

निश्चित रूप से आप बैंक में खाता खोल सकते हैं। आप अपनी हाल ही की एक स्व-सत्यापित फोटो जमा करके और बैंक अधिकारी के सामने अपना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाकर एक बैंक खाता खोल सकते हैं जिसे 'छोटा खाता' (स्मॉल अकाउंट) कहा जाता है। लेकिन, इन 'छोटे खातों' की कुछ सीमाएं हैं, जैसे किसी भी समय बैलेंस 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, एक वर्ष में कुल क्रेडिट 1,00,000/- रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए और एक महीने में कुल निकासी और हस्तांतरण 10,000/- रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

०६

'आधार संख्या होने के प्रमाण' के रूप में मुझे कौन से दस्तावेज़ देने होंगे?

'निम्नलिखित दस्तावेज़ों में से कोई एक 'आधार संख्या होने के प्रमाण' के रूप में पर्याप्त होगा:

i. आधार पत्र
ii. डाउनलोड किया गया आधार (ई-आधार)
iii. आधार सुरक्षित क्यूआर (QR) कोड
iv. आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी

भारतीय रिज़र्व बैंक

केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट मुंबई – 400 001

www.rbi.org.in